न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा० पत्र संख्या 67 / 2024

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1 तीजादेवी पत्नी चन्द्रराम जाति घांची निवासी– सोजत सिटी, तहसील– सोजत, जिला– पाली।	बनाम	1. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक 30/05/24

–: निर्णय :

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 6399/594 रकबा 0.7900 हैक्टर की स्थित है। पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेशाननुसार उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होकर प्रार्थीया के बंट व हक हिस्से में माफिक कब्जानुसार उक्त कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा होने के बाद मौके पर पैमाईश नहीं की गई तथा नक्शा में मात्र तरमीम की गई है। प्रार्थीया ने अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया गया था। जिस पर तहसीलदार सोजत के द्वारा उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करने हेतु पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम को दिनांक 21.02.2024 को आदेशित किया गया। लेकिन हाल ही में बंटवाडा होने से व नक्शा में तहमीम होने से पटवारी हल्का के द्वारा पैमाईश करने में कठिनाई उत्पन्न होना बताया तथा पटवारी हल्का द्वारा पत्थर गढ्ढी के जरिए कमेठी गठित कर सीमांकन करने हेतु कहा गया, ऐसी स्थिती में प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि का कमेठी के द्वारा सीमांकन करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकारः अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 6399/594 रकबा 0.7900 हैक्टर का पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाया जाकर सीमाज्ञान करने के आदेश किए जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कन निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तीजी देवी पत्नी श्री चद्राराम घांची के खातेदारी कीकृषि भूमि है। पैरा संख्या दो प्रार्थी साक्ष्य सबूत से सिद्ध करे। पैरा संख्या 03 से 06 कानूनी है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 6399/594 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

7900 हैक्टर का पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाया जाकर सीमाज्ञान करने के आदेश किए जाने की ईस्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थी की भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का का सिमांकन कर जरिये पत्थर गढी मुटाम कायम करवाना चाहता है। जिसका उसे विधिक अधिकार है। जिसे सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 6399/594 रकबा 0.7900 हैक्टर का पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाया जाकर सीमाज्ञान तारबंदी पुलिस इमदाद के जरिए मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने हेतु तहसीलदार सोजत आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 6399/594 रकबा 0.7900 हैक्टर भूमि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30/05/24 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)